GMVN
गढ़वाल मण्ड़ल विकास निगम लि0,
(उत्तराखण्ड़ सरकार का उपक्रम)
पंजीकृत कार्यालय–74/1,राजपुर रोड, देहरादून।
उत्तराखण्ड। पिन कोड–248001
C.I.N.NO U31101UR1976SGC004259
E-Mail.ID-gmvn@gmvn.com
Web.Side:-www.gmvn.com
Phone.No:-0135-2746817,2749308
Fax.No:-2748479

क्र0सं0	गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि0 की जनरल सेल्स ऐजेन्ट (जी0एस0ए0) नियुक्त/अधिकृत करने संबधी सेवा शर्ते
1	अधिकृत ट्रैवल एजेन्ट पैकेज टुअर व अतिरिक्त पैकेज टुअर हेतु अग्रिम आरक्षण ऑन लाईन बुकिंग/लौगिन पासवर्ड से करेगा।
2	ट्रैवल एजेन्सी द्वारा आरक्षित पैकेज टुअर अथवा अतिरिक्त पैकेज टुअर हेतु किन्ही कारणों से निगम के आवास गृहों, बसों अथवा टैक्सियों में जगह उपलब्ध नही होती है तो निगम की सेवा शर्तों के अनुसार उपलब्ध कराये गये Supplementary accommodation में तथा अनुबन्धित वाहनों से टुअर संचालित किए जाएंगे।
3	अधिकृत ट्रैवल एजेण्ट द्वारा पर्वतारोहण तथा ट्रैकिंग टुअरों हेतु आरक्षण लिये जाने की सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व ट्रैकिंग एक्जीक्यूटिव पर्वतारोहण डिवीजन, गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड को दी जानी आवश्यक है तथा ट्रैकिंग एक्जीक्यूटिव द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार अग्रिम धनराशि एवं टुअर संचालन की पुष्टि करने का दायित्व ट्रैवल एजेण्ट का होगा।
4	स्नो स्कीइंग, तथा रिवर रॉफ्टिगं से सम्बधित आरक्षण एजेण्ट द्वारा निगम मुख्यालय देहरादून तथा जनसम्पर्क कार्यालयों से पुष्टि कर लेने के बाद ही किया जायेगा। इससे सम्बधित आरक्षण की सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व एजेण्ट द्वारा दी जायेगी।
5	जी0एस0ए0 के द्वारा समस्त आरक्षण से प्राप्त धनराशि ऑन लाइन बुकिंग/लौगिन पासवर्ड के कमीशन का Transaction+ निर्धारित दिवसों (T s + n days) में Digitally + Automatically किया जायेगा।
6	निगम द्वारा ट्रैवल एजेण्ट को प्रथम चरण में एक वर्ष की अवधि हेतु अधिकृत किया जायेगा।
7	सीजन की दरें दिनांक 01 मई से 30 जून तक

क्र0सं0	धनराशि	कमीशन की दर प्रस्तावित	बेनस की दर
1	मई एवं जून के व्यवसाय पर	10%	Nil

ऑफ सीजन की दरें दिनांक 01 जुलाई से 30 अप्रैल तक

क्र0सं0	धनराशि	कमीशन की दर	बोनस की दर (वित्तीय वर्ष के अन्त में भुगतान किया जायेगा।)
1	10 लाख तक	20%	0%
2	10 लाख से 25 लाख तक	20%	5%
3	25 लाख से अधिक	20%	10%

एजेकेशनल टुअर या बडें टुअरों पर कमीशन दिये जाने का अधिकार प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि0 को होगा।

	इसके अतिरिक्त पृथक से नवीन DESTINATIONS को PROMOTE करने के लिए कमीशन की अतिरिक्त दरें जारी करने पर विचार किया जा सकता है। जिसका अधिकार प्रबन्ध निदेशक के पास होगा।
8	आरक्षण निरस्त करने की सूचना पर नियमानुसार धनराशि पर जी0एस0टी0 सहित कटौती की जायेगीः– 1. आरक्षण निरस्त करने की सूचना यदि 15 दिवस पूर्व दी जाती है तो आरक्षित धनराशि पर 30% की कटोती की जायेगी। 2. आरक्षण निरस्त करने की सूचना यदि 15 से 5 दिन के अन्दर की जाती है तो आरक्षण की कुल धनराशि पर 50% की कटौती की जायेगी। 3. आरक्षण निरस्त करने का सूचना यदि 5 दिन से कम तो आरक्षण की कुल धनराशि पर 100% की कटौती अर्थात सम्पूर्ण धनराशि की कटौती की जायेगी। आरक्षण निरस्त होने पर यात्रा कार्यालय की स्वीकृति के उपरान्त ही नियमानुसार रिफण्ड की कार्यवाही की जायेगी।
9	ट्रैवल एजेन्सीयों द्वारा निगम की पूर्व निर्धारित दरों पर ही आरक्षण किया जायेगा एवं निगम द्वारा इस संबध में निर्धारित नियमों का पालन करना आवश्यक होगा।
10	अधिकृत एजेन्सी द्वारा प्रचार–प्रसार का कार्य अपने व्यय पर वहन करना होगा। निगम द्वारा मुद्रित प्रचार–प्रसार सामाग्री को एजेन्सी द्वारा निगम मुख्यालय अथवा जनसम्पर्क कार्यालयों तथा यात्रा कार्यालय ऋषिकेश से प्राप्त किया जा सकता है।
11	आवेदन करने वाली फर्म का रजिस्ट्रेशन केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के अधीन पंजीकृत होना चाहिए।
12	निगम की जी0एस0ए0 की मान्यता प्राप्त करने पर फर्म को एक एग्रीमेंट करना होगा, जिसको रजिस्टर करने एवं एग्रीमेंट बनाने का खर्च स्वंय फर्म द्वारा वहन किया जायेगा।
13	फर्म द्वारा किये जाने वाले अनुबन्ध में जी0एस0ए0 की सेवाशर्ते दी जायेगी। शर्ते पूर्ण न करने की दशा में अनुबन्ध तत्काल समाप्त करने का अधिकार निगम के प्रबन्ध निदेशक के पास सुरक्षित होगा।
14	नियुक्त जी0एस0ए0 द्वारा अनुबन्ध की शर्ते पूर्ण न करने की दशा में यदि निगम द्वारा अनुबन्ध निरस्त किया जाता है तो जी0एस0ए0 को Black Listed करने का पूर्ण अधिकार प्रबन्ध निदेशक को होगा।
15	यदि जी0एस0ए0 निगम की छवि खराब करता है अथवा निगम द्वारा दिये गये नियमों का पालन नही करता है तो जी0एस0ए0 को भविष्य के लिए Black Listed करने का पूर्ण अधिकार प्रबन्ध निदेशक को होगा।
16	नियुक्त किये गये जी0एस0ए0 द्वारा निगम के जनसम्पर्क कार्यालय अथवा अन्य किसी कार्यालय के साथ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं की जायेगी, ऐसा करने पर फर्म की जी0एस0ए0 की मान्यता समाप्त की जायेगी।
17	जी0एस0ए0 हेतु आवेदन करने वाली एजेन्सी राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार से कभी ब्लैक लिस्टड न हो। यदि निगम के संज्ञान में कभी यह तथ्य पाया गया तो ऐसी एजेन्सी की मान्यता समाप्त कर दी जायेगी। अतः आवेदन करने वाली फर्म को किसी भी राज्य सरकार अथवा एजेन्सी से ब्लैक लिस्टेड न होने का एक शपथ पत्र रू0 100/– के नोन–ज्यूडिसियल स्टांप पेपर पर निगम को समर्पित करना होगा जिसे नॉटराइज करना होगा।
18	ऑन लाइन आरक्षण पर सुविधा तत्काल प्राप्त होगी।
19	जी0एस0ए0 को ऑनलाइन आरक्षण की सुविधा हेतु भारत सरकार या राज्य सरकार से पंजीकृत होना आवश्यक होगा। अन्यथा जी0एस0ए0 को भविष्य के लिए Black Listed करने का पूर्ण अधिकार प्रबन्ध निदेशक को होगा।
20	निगम को विभिन्न टुअरों के एल0टी0सी0 के दावों के प्रमाण पत्रों को जारी करने का अधिकार किसी भी एजेन्सी को नही होगा। ऐसे प्रमाण पत्र केवल निगम मुख्यालय के अधिकृत अधिकारी/जनसम्पर्क अधिकारी तथा उप महाप्रबन्धक (यात्रा) यात्रा कार्यालय ऋषिकेश के द्वारा ही जारी किये जा सकेंगे।

21	कमीशन का भुगतान जी0एस0ए0 को उनके द्वारा दिये गये सम्पूर्ण व्यवसाय में से जी0एस0टी0 की धनराशि को घटाते हुये किया जायेगा।
22	अर्जित व्यवसाय पर 20 % कमीशन में ही टी0डी0एस0 की कटौती ग0म0वि0नि0 द्वारा की जायेगी।
23	माह नवम्बर के पश्चात शीतकाल में अधिक से अधिक व्यवसाय अर्जन हेतु एजेन्सी प्रयास करेगी। शीतकाल में अधिक व्यवसाय देने वाली एजेन्सी को आगामी वर्षों हेतु नवीनीकरण में प्राथमिकता दी जायेगी।
24	ट्रैवल एजेन्सी के पास जी0एस0टी0 सं0 व पैन कार्ड सं0 उपलब्ध होना अनिवार्य है।
25	ट्रैवल एजेन्सी का व्यवसाय पंजीकृत होना चाहिए।
26	प्रथम चरण में एक वर्ष पूरा करने के उपरान्त बिना मान्यता नवीनीकरण के "निगम लोगो" का प्रयोग कोई भी एजेन्सी नहीं करेगी। ऐसा करने पर उसके विरूद्व कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
27	आरक्षण निरस्त होने से Unique Reservation No. से निगम की Website पर Cancellation Direct होगा व 15 दिवस पूर्व 30 प्रतिशत निगम Deduct करेगा। इसमें जी0एस0ए0 को कोई धनराशि देय नही होगी। और ना ही दिया गया कमीशन ग0म0वि0नि. द्वारा वापस लिया जायेगा।
28	ट्रैवल एजेन्सी को अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने से पूर्व कोई भी प्रतिभूति धनराशि जमा नही करनी होगी।
29	किसी भी आवेदन को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि0 से सुरक्षित रहेगा।
30	Invoice में एक यूनिक नम्बर होगा। जी0एस0ए0 द्वारा बुकिंग किया हुआ पर्यटक यदि 15 दिन से पूर्व आरक्षण को निरस्त करता है तो वेबसाइट में केन्सिलेशन में जाकर केन्सिल करेंगे, जिस पर निगम द्वारा 30 प्रतिशत की कटौती करेगा।
31	जी0एस0ए0 की मान्यता हेतु एजेन्सी द्वारा दिये जाने वाले प्रार्थना पत्र पर फर्म के सभी बिजनेस पार्टनर के हस्ताक्षर होने आवश्यक है।
32	अपूर्ण आवेदन पत्रों को निरस्त करने का अधिकार प्रबन्ध निदेशक को सुरक्षित होगा।
33	मध्यस्थता कराने हेतु एकल मध्यस्थता को स्थानान्तरित कर दें। "एकल मध्यस्थ" महोदय भारतीय मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही करेंगे। उनके द्वारा पारित किया गया प्रस्ताव अन्तिम व पक्षकारों को मान्य होगा। न्यायालय का क्षेत्राधिकार तथा मध्यस्थता का क्षेत्राधिकार जनपद देहरादून (उत्तराखण्ड) होगा।

MD